आवश्यक / समयबद्ध

संख्या 428 /11–XIX–1 / 162 खाद्य / 2004

प्रेषक,

सुबर्द्धन
अपर सचिव, स्वतंत्र प्रभार
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 11 जुलाई, 2011

विषयः– **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर की दुकानों के आवंटन तथा चयन समितियों के गठन सम्बन्धी प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 652 / XIX/08/162 /खाद्य / 2004 दिनांक 03 जून, 2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें। शासनादेश जारी होने के उपरान्त समय–समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश दिनांक 03.06.2010 के **बिन्दु संख्या 4** में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं। उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें एवं प्राविधान यथावत् लागू रहेंगें।

| पूर्व शासनादेश संख्या 652 / XIX/08/162 /खाद्य / 2004 दिनांक 03 जून, 2010 में निहित् व्यवस्था | इस शासनादेश जारी होने की तिथि के बाद लागू की जाने वाली संशोधित व्यवस्था। |
|---|---|
| **बिन्दु संख्या 4**– दुकान की रिक्तियों के विरूद्ध प्राप्त प्रार्थना पत्रों में यदि रिक्तियों से काफी अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दुकान आवंटन हेतु अर्हतायें पूरी करते है तो ऐसी दशा में दुकानों का चयन लाटरी निकाल कर दिया जाय, ताकि शिकायत का कोई अवसर न मिले और सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों के चयन में पारदर्शिता बनी रहे" | **बिन्दु संख्या 4**–"उचित दर की दुकानों के चयन के लिए पात्र व्यक्ति के लिए निम्न अर्हतायें अनिवार्य होगीं :–<br>क – उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तथा वह दुकान को आवंटित एक माह की सामग्री का एक बार में उठान करने में आर्थिक रूप से सक्षम हो।<br>ख –उसकी सामान्य ख्याति अच्छी हो।<br>ग – वह शिक्षित हो ताकि वह दुकान का हिसाब–किताब सही रूप से रख सके।<br>घ – कार्यरत राशन के दुकानदार की मृत्यु के फलस्वरूप यदि दुकानदार की ख्याति अच्छी रही हो तो दुकानदार की विधवा अथवा आश्रित पुत्र को दुकान आवंटित की जा सकती है। |

अतः उपरोक्त शासनादेश नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों की नियुक्ति व चयन समिति के गठन के सम्बन्ध में उक्त सीमा तक संशोधित **पढ़े एवं समझे जायेंगे तथा** इस शासनादेश की जारी होने की तिथि से मान्य होंगे।

**संलग्नकः यथोक्त।**

भवदीय,

(सुबर्द्धन) 11/7/11

अपर सचिव, (स्वतंत्र प्रभार)।

**पृष्ठांकन संख्या /11–XIX–2/49 वि0खाद्य/2006**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्र दिनांक 19.05.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के आलोक में प्रेषित।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, हल्द्वानी/देहरादून।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. सहायक आयुक्त, कुमायूँ/ गढ़वाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
10. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि इस शासनादेश की एक प्रतियाँ जिले के सभी परगनाधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

(सुबर्द्धन)

अपर सचिव, (स्वतंत्र प्रभार)।